ायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

मि.न.–96 / 2019

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)
दिनांक–14.11.19

सरकार बनाम मंजू देवी

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल अनुपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नारहेडा ने एक रिर्पोट इस आशय कि पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम नारहेडा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 617 / 2.72है 0किस्म जमीन गै0 मु0 रास्ता मेंसे 0.03है0 पर मंजू देवी पत्नि सीताराम जाति महाजन निवासी नारहेडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने जोत लगाकर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित नहीं आये । इसलिए गैरसायल के विरूद्व एक पक्षिय कार्यवाही की जाती है। अतः गैरसायल मंजू देवी पत्नि सीताराम जाति महाजन निवासी नारहेडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा वाके ग्राम नारहेडा के खसरा नंबर 617 / 2.72 किस्म जमीन गै0 मु0 रास्ता मेंसे 0.03 है0 पर जोत लगाकर अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण सिद्व होता है अतः अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्तन्न होगी ।

अतः मंजू देवी पत्नि सीताराम जाति महाजन निवासी नारहेडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम नारहेडा तहसील कोटपूतली के ख0 न0617 / 2.72 किस्म जमीन गै0 मु0 रास्ता मेंसे 0.03 है0 पर अतिक्रमी धोषित करते हुये उक्त आराजियात पर की गई जोत को हटाया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 0.90रू का पचास गुणा 45 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 14.11.19 को सरे इजलास सुनाया गया ।